संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 19-09-2021**

आज दिनांक 19.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वस्तुओं एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान तिनहरी नहर पुलिस के पास से दिलशाद पुत्र अकरम निवासी बढ़यामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 308 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- हे0का0 रामदरश यादव, हे0का0 मोतीलाल यादव ।

मेहदावल पुलिस द्वारा दबिश के दौरान वारण्टी गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा दबिश के दौरान वारण्टी नाम पता अजय पुत्र विजय निवासी मोहल्ला ठाकुरद्वारा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 3307 द्वारा नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहे युवक की बचाई गई जान</u>–
पीआरवी 3307 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत सुल्तानपुर से इवेन्ट संख्या 04696 से कालर ने एक व्यक्ति द्वारा नदी मे कूदकर आत्महत्या का प्रयास के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 07 मिनट मे पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहे युवक को बाहर निकाला गया तथा घटना के संबंध मे थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से आत्महत्या का प्रयास करने जा रहे युवक को नदी से निकालकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
पीआरवी स्टाफ –आरक्षी सूरज भारती, हो0चा0 जयप्रकाश।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 92 वाहनो से 77100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 92 वाहनो से 77100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।